	(छ) विहित अनुसार ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य कार्यों का निर्वहन करना । (2) कार्यपालक अधिकारी द्वीप परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेगा और उसे इसके समिति के बैठक में उपस्थित रहने का तथा इसमें भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे संकल्प लाने अथवा वोट देने का अधिकार नहीं होगा । यदि कार्यपालक अधिकारी की राय में इस विनियम, या अन्य कोई विधि, नियम या इसके अंतर्गत बनाए आदेश के उपबन्धों के अनुसार द्वीप परिषद के समक्ष प्रस्ताव देना उल्लंघन अथवा असंगत है तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि इसकी सूचना द्वीप परिषद के समक्ष लाएँ ।	
	68. (1) द्वीप परिषद की बैठक का समय तथा स्थान और इस बैठक की प्रक्रिया निर्धारित अनुसार होगी । (2) द्वीप परिषद का कोई भी सदस्य, किसी बैठक में संकल्प ला सकेगा और विहित अनुसार द्वीप परिषद के प्रशासन से संबंधित मामलों पर चीफ कैप्टन अथवा वाइस चीफ कैप्टन से प्रश्न कर सकेगा । (3) द्वीप परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का दो–तिहाई संख्या द्वारा संकल्प लाए जाने को छोड़कर, द्वीप परिषद के कोई भी संकल्प का उसके पारित होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर द्वीप परिषद इसे संशोधन, परिवर्तन, अथवा निरस्त नहीं कर सकेगा ।	द्वीप परिषद की बैठक
	69. (1) इस नियंत्रण और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा विहित किया जा सकेगा, द्वीप परिषद, इनके शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समितियों की नियुक्ति करेगा, जैसा विर्दिष्ट किया गया है । (2) एक समिति में पाँच से अधिक सदस्य नहीं होंगे और विहित अनुसार इन कारणों से इसका विघटन अथवा पुनर्गठन हो सकेगा ।	समितियाँ
	70. द्वीप परिषद के किसी कार्य अथवा कार्रवाई को मात्र इस कारण से अवैध नहीं समझा जाएगा कि रिक्ति खाली पड़ी है अथवा इसके गठन में त्रुटि या कार्यवाही में कोई अस्पष्टता हैं ।	रिक्ति खाली पड़े रहने से कार्यवाही अवैध नहीं होगी ।
	71. (1) द्वीप परिषद के पास ऐसे शक्ति और प्राधिकार होंगे जैसा कि प्रशासक, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके आदेश द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझते हैं और इसे विनिर्दिष्ट करते हैं ताकि यह तीसरी अनुसूची में दी गई बातों के संबंध में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने के लिए स्वायत्त शासन के संस्थान के रूप में कार्य कर सकें ।	कर्त्तव्य एवं कार्य